

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

संशोधन प्रार्थना पत्र संख्या – 15/2012/जयपुर

(संबंधित अपील संख्या – 1598/2008/जयपुर)

मैं, देवयानी इन्टरनेशनल लि.

109 गणपति प्लाजा, एम.आई. रोड जयपुर

.....अपीलार्थी (अप्रार्थी)

बनाम्

सहायक आयुक्त, विशेष वृत प्रथम, जयपुर

.....प्रत्यार्थी (प्रार्थी)

एकलपीठ

श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा
अभिभाषक।

..... प्रार्थी की ओर से.

श्री एन. के. वैद
उप-राजकीय अभिभाषक।

..... अप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 16.12.2015

निर्णय

यह परिशोधन प्रार्थना-पत्र प्रार्थी-विभाग (प्रत्यार्थी) द्वारा माननीय राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 1598/2008/जयपुर में एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2011 में संशोधन करने हेतु राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 37 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 33 के अन्तर्गत पेश किया गया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है :-

1. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2004-05 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 22.01.2007 को किया गया। व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में फाउण्टेन पेप्सी की बिक्री रूपये 23,79,098/- की गई है। जिस पर 12 प्रतिशत की दर से व बाद में 14 प्रतिशत की दर से कर अदा किया। कर निर्धारण अधिकारी ने माना कि यह बिक्री एरियेटेड वाटर (Aerated Water) की होने के कारण पूरे वर्ष में 20 प्रतिशत से कर योग्य है, इसलिए दिनांक 11.07.2004 तक की बिक्री पर अन्तर कर 8 प्रतिशत तथा 12.07.2004 के बाद की बिक्री पर अन्तर कर 6 प्रतिशत से अतिरिक्त आरोपित किया तथा सरचार्ज भी आरोपित किया। यह अन्तर कर मय सरचार्ज जमा नहीं कराने के कारण ब्याज भी आरोपित किया। इसके अलावा दिनांक 11.07.2014 तक टर्न ओवर टेक्स रूपये 5,050/- तथा ब्याज रूपये 1,504/- आरोपित किया था तथा त्रैमासिक विपत्र विलम्ब से पेश करने के



लगातार.....2

संशोधन प्रार्थना पत्र संख्या - 15/2012/जयपुर
(संबंधित अपील संख्या - 1598/2008/जयपुर)

कारण धारा 61 के तहत शास्ति रूपये 1,730/- आरोपित की थी। नियमित मासिक कर देरी के लिए ब्याज रूपये 10,140/- कुल दायित्व में कम जमा होने पर ब्याज रूपये 1,020/- आरोपित किया था।

इस आदेश के विरुद्ध व्यवहारी द्वारा अपील किये जाने पर अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिया :-

- (1) एरियेटेड वाटर के बिन्दु पर अपील स्वीकार कर प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये कि फाउण्टेन पेप्सी की बिक्री के संबंध में जांच की जावें। यदि यह बिक्री रेस्टोरेन्ट में ही की गई हो तो इस पर करारोपण राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 27.06.1990 के अनुसार की जावें।
- (2) टर्न ओवर टेक्स के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी ने वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के स्पष्टीकरण संख्या एफ1(18)एफडी/टेक्स/2000 दिनांक 16.10.2004 के आलोक में दिनांक 11.07.2004 तक टर्न ओवर टेक्स देय होने के आधार पर व्यवहारी की अपील अस्वीकार की।
- (3) धारा 61 के तहत शास्ति के बिन्दु पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये बिना शास्ति आरोपित की गई थी। इसलिए प्रकरण को बाद सुनवाई का उचित अवसर देकर विधिसम्मत आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया।
- (4) फाउण्टेन पेप्सी के बिन्दु पर आरोपित ब्याज के अलावा, ब्याज रूपये 10,140/-, 3,517/- तथा 10,201/- के बिन्दु पर अपील अस्वीकार की।

उक्त बिन्दुओं में बिन्दु संख्या 1 जो कि फाउण्टेन पेप्सी से संबंधित है तथा बिन्दु सं. 3 जो धारा 61 के तहत शास्ति से संबंधित है, दोनों में प्रतिप्रेषित आदेश को क्रॉस अपील में विभाग द्वारा चुनौती दी गई। जबकि टर्न ओवर टेक्स तथा उस पर ब्याज क्रमशः 5,050/- व 1,504/- के बिन्दु पर व्यवहारी ने अपील निर्णय को चुनौती दी है। माननीय कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा राजस्व की अपील अस्वीकार करते हुए अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषित आदेश की पुष्टि की गयी। अतः राजस्व द्वारा माननीय कर बोर्ड के उक्त आदेश दिनांक 05.12.2011 में संशोधन किये जाने हेतु यह संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निर्णय में विधिक एवं अधिसूचनाओं की व्याख्या सम्बन्धी त्रुटि बताते हुए तदनुसार निर्णय को संशोधित किये जाने का निवेदन किया है।

2. प्रार्थी के अधिवक्ता श्री अलकेश शर्मा एवं राजस्व की ओर से विभागीय अधिकृत प्रतिनिधि श्री एन.के. वैद, उपराजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।



3. विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने प्रतिप्रेषित आदेश का विरोध करते हुए कथन किया कि व्यवहारी पर अधिसूचना दिनांक 27.06.1990 लागू ही नहीं होती है। क्योंकि राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 07.03.1994 में हॉटल को बाहर कर रखा है। इसलिए अपील स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।
4. अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि राज्य सरकार ने टर्न ओवर टेक्स को अधिसूचना दिनांक 12.07.2004 से समाप्त कर दिया था। चूंकि टर्न ओवर टेक्स वार्षिक टर्न ओवर पर आधारित है तथा अधिसूचना में प्रभावी तिथि के अंकन के अभाव में यह वर्ष के प्रारम्भ दिनांक 01.04.2004 से प्रभावी था। इसलिए दिनांक 11.07.2004 तक टर्न ओवर टेक्स देय ही नहीं था। अपने कथन के समर्थन में राजस्थान कर बोर्ड के (2009) 12 टेक्स अपडेट 304 निर्णय का दृष्टान्त पेश किया। जिसमें एकलपीठ ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के 130 एस.टी.सी 160 में मूमल मार्बल्स लि बनाम राजस्थान राज्य तथा माननीय आन्ध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 103 एस.टी.सी 532 स्टेट ऑफ आन्ध्रप्रदेश बनाम बी.बी. एक्सपोर्ट्स लि. के निर्णयों के अनुसरण में टर्न ओवर टेक्स वर्ष के प्रारम्भ से ही देय नहीं माना। इसलिए टर्न ओवर टेक्स तथा उस पर ब्याज के बिन्दु पर अपील स्वीकार करने पर व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने बल दिया।
5. अधिनियम की धारा 37 के तहत संशोधन के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज, 29 टैक्स अपडेट 253 का हवाला दिया गया।
6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि :-
 - (i) माननीय राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.12.2011 में राज्य सरकार की अधिसूचनाओं तथा विधिक प्रावधानों का हवाला देते हुए निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का यह कथन न्यायोचित नहीं है कि माननीय एकलपीठ द्वारा विधिक प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया गया है।
 - (ii) ऐसी स्थिति में प्रार्थी व्यवहारी द्वारा चाहा गया संशोधन तर्कसंगत एवं विधिसम्मत नहीं होने के कारण, प्रार्थी का परिशोधन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

13


(iii) इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 37 (वेट अधिनियम की धारा 33) की परिधि पर न्यायिक दृष्टान्त (2011) 29 टैक्स अपडेट 253 हायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स मक्कड प्लास्टिक में यह अवधारित किया गया है कि राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 धारा 37 के अन्तर्गत पूर्व में पारित सुविचारित निर्णय परिशोधन की परिधि में नहीं आता है तथा धारा 37 पूर्व में पारित निर्णयों को पुनर्विलोकन करने का क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करती है। निर्णय का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है:-

"The scope and ambit of the power which could be exercised under section 37 of the Act of 1994 is circumscribed and restricted within the ambit of the power vested by the said Section. Such a power is neither a power of review nor is akin to the power of revision but is only a power to rectify a mistake apparent on the face of the record. Rectification implies the correction of an error or a removal of defects or imperfections. It implies an error, mistake or defect which after rectification is made right."

इसी प्रकार का मत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 42 टैक्स अपडेट पार्ट-3 पेज 103 सहायक आयुक्त, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, अलवर बनाम पी.एन.सी. कंस्ट्रक्शन, धौलपुर में पारित निर्णय दिनांक 24.04.2015 में प्रतिपादित किया गया है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा राजस्व अधिनियम की धारा 37 के तहत प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।


(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य